न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 480/2016

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. शिम्भूदान पुत्र मुल्तानमल		1. राणीदान पुत्र मोहनलाल
2. मदनलाल पुत्र मुल्तानमल		2. रामचन्द पुत्र मोहनलाल
3. कौशल्या पुत्री भंवरलाल		3. गोपाल पुत्र मोहनलाल
4. सुमीत्रा देवी पुत्री भंवरलाल		4. भंवरीदेवी पत्नि मोहनलाल
5. ज्योती देवी पुत्री भंवरलाल		5. दलपत पुत्र भंवरलाल
6. आशादेवी पुत्री भंवरलाल		जातियान–राव, निवासी–निमाज
7. घीसीदेवी पत्नि भंवरलाल		तह0–जैतारण, जिला–पाली
जातियान–राव, निवासी–निमाज		6. लैण्ड होल्डर व तहसीलदार,
तह0–जैतारण, जिला–पाली		जैतारण, तह.–जैतारण,
		जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजूः 25.07.2016**

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 22/05/2018**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा–निमाज, पटवार हल्का–निमाज–द्वितीय, तहसील–जैतारण में खसस नम्बर 1427/9 रकबा 13–08 बीघा किस्म बारानी अव्वल वादग्रस्त कृषि भूमि शामलाती स्थित हैं। वाद पत्र के साथ जामबन्दी संवत् 2072–74 साथ पेश की हैं। वादीगण के हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि नजरी नक्शा ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी,एच के अनुसार स्थित हैं। परन्तु वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 से 05 शामलाती कृषि भूमि होने की वजह से वादीगण प्रतिवादीगण के बीच तनाव रहता हैं तथा प्रतिवादीगण आये दिन एलानियां धमकियां दे रहे हैं कि वादग्रस्त कृषि भूमि को अजनबी क्रेता करके दिग्गजों का कब्जा करवा देगें। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का नक्शा ट्रेश में तरमीन "बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंट्वाड़ा नहीं होने का बेजा फायदा उठाकर वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन अजनबी कब्जा करवाने की दिनांक 20/07/2016 एलानिया धमकियां के कारण वादीगण वाद पत्र बंट्वाड़ा स्थाई निषेधाज्ञा पेश करने की आवश्यकता पड़ी। वाद पत्र साथ नक्शा ट्रेश व नजरी नक्शा साथ पेश किया हैं, जो वाद पत्र का आवश्यक भाग हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1427/9 का "बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस्" का बंट्वाड़ा नक्शा ट्रेस में तरमीन नहीं परन्तु मौका पर वादीगण प्रतिवादीगण का बंट अलग–अलग हो रखा हैं। जिसका नजरी नक्शा ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी,एच के अनुसार वादीगण का कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्ण चला आ रहा हैं। परन्तु प्रतिवादीगण ने दिनांक 20/07/2016 को एलानियां धमकियां दी कि वादीगण की कब्जा काश्त भूमि को अजनबी बैचान करके जबरन कब्जा करवा कर रहेगें। वादीगण के द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का "बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंट्वाड़ा की रिलिफ होने के कारण वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 06 लैण्ड होल्डर एवं

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तहसीलदार जैतारण को वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी बनाया हैं। इसके लिए वाद पत्र पेश करने के पूर्व में दो माह नोटिस की अवधि को केन्टोन के लिए अलग से धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर दावा पेश किया हैं। बिनायवाद प्रतिवादी ने वादीगण को दिनांक 20/07/2016 को एलानिया धमकियां देने की वजह से ग्राम-निमाज में पैदा हुआ, जो दिन ब दिन उत्पन्न हो रहा हैं। वादीगण का वाद पत्र श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में पेश किया हैं, जो श्रीमान् को श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल कुमावत ने वकालतनामा पेश किया व अण्डर टेकिंग लिया तथा प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 हैं। प्रति0 संख्या 06 बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। प्रतिवादीगण को अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाबदावा पेश नहीं करने से जबाबदावा बंद किया जाता हैं। वादी ने वाद के समर्थन में वादी संख्या 02 का साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया, प्रदर्श लगाये गये, सा0मि0 हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते हैं। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि राजस्व मौजा-निमाज, पटवार हल्का-निमाज-द्वितीय, तहसील-जैतारण में खसस नम्बर 1427/9 रकबा 13-08 बीघा किस्म बारानी अव्वल वादग्रस्त कृषि भूमि शामलाती स्थित हैं।, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर आदेशित किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-निमाज में पेश हुई। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/ भू0अ0/ 2018/ 156 दिनांक 22/05/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-निमाज, पटवार हल्का-निमाज-द्वितीय, तहसील-जैतारण में खसस नम्बर 1427/9 रकबा 13-08 बीघा किस्म बारानी अव्वल वादग्रस्त कृषि भूमि शामलाती स्थित हैं का भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान
1	दलपत पुत्र भंवरलाल, कौशल्या सुमित्रा देवी, ज्योति देवी, आशादेवी पुत्रियां भंवरलाल घीसी देवी पत्नी भंवरलाल कौम राव सा.देह खातेदार	1427/42	3-05		2.00
2	शिम्भुदान पुत्र मुल्तानमल कौम राव सा.देह खातेदार	1427/9	3-05		2.00
3	मदनलाल पुत्र मुल्तानराम कौम राव सा.देह खातेदार	1427/41	3-05		2.00
4	राणीदान रामचन्द्र गोपाल पिता मोहनलाल भंवरीदेवी पत्नी मोहनलाल कौम राव सा. देह खातेदार	1427/43	3-05		2.00
5	दलपत पुत्र भंवरलाल, कौशल्या सुमित्रा देवी, ज्योति देवी, आशादेवी पुत्रियां भंवरलाल घीसी देवी पत्नी भंवरलाल, शिम्भुदान पुत्र मुल्तानमल, मदनलाल पुत्र मुल्तानराम, राणीदान रामचन्द्र गोपाल पिता मोहनलाल भंवरीदेवी पत्नी मोहनलाल कौम राव सा. देह खातेदार	1427/44	0-08		0.31
	योग		13-08		8.31

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 22/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर–निमाज में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

वादीगण:

1. शिम्भूदान पुत्र मुल्तानमल
2. मदनलाल पुत्र मुल्तानमल
3. कौशल्या पुत्री भंवरलाल
4. सुमीत्रा देवी पुत्री भंवरलाल
5. ज्योती देवी पुत्री भंवरलाल
6. आशादेवी पुत्री भंवरलाल
7. घीसीदेवी पत्नि भंवरलाल
   जातियान–राव, निवासी–निमाज
   तह0–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

प्रतिवादीगण:

1. राणीदान पुत्र मोहनलाल
2. रामचन्द पुत्र मोहनलाल
3. गोपाल पुत्र मोहनलाल
4. भंवरीदेवी पत्नि मोहनलाल
5. दलपत पुत्र भंवरलाल
   जातियान–राव, निवासी–निमाज
   तह0–जैतारण, जिला–पाली
6. लैण्ड होल्डर व तहसीलदार, जैतारण, तह.–जैतारण, जिला–पाली

<u>राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0:480/2016

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री शंकरलाल कुमावत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री राजेन्द्रकुमार गुर्जर व मोहनलाल कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा–निमाज, पटवार हल्का–निमाज–द्वितीय, तहसील–जैतारण में खसस नम्बर 1427/9 रकबा 13–08 बीघा किस्म बारानी अव्वल वादग्रस्त कृषि भूमि शामलाती स्थित हैं का भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान
1	दलपत पुत्र भंवरलाल, कौशल्या सुमित्रा देवी, ज्योति देवी, आशादेवी पुत्रियां भंवरलाल घीसी देवी पत्नी भंवरलाल कौम राव सा.देह खातेदार	1427/42	3-05		2.00
2	शिम्भुदान पुत्र मुल्तानमल कौम राव सा.देह खातेदार	1427/9	3-05		2.00
3	मदनलाल पुत्र मुल्तानराम कौम राव सा.देह खातेदार	1427/41	3-05		2.00
4	राणीदान रामचन्द्र गोपाल पिता मोहनलाल भंवरीदेवी पत्नी मोहनलाल कौम राव सा. देह खातेदार	1427/43	3-05		2.00

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

5	दलपत पुत्र भंवरलाल, कौशल्या सुमित्रा देवी, ज्योति देवी, आशादेवी पुत्रियां भंवरलाल घीसी देवी पत्नी भंवरलाल, शिम्भुदान पुत्र मुल्तानमल, मदनलाल पुत्र मुल्तानराम, राणीदान रामचन्द्र गोपाल पिता मोहनलाल भंवरीदेवी पत्नी मोहनलाल कौम राव सा. देह खातेदार	1427/44	0-08		0.31
5	योग		13-08		8.31

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 22/05/2018 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03–00	स्टाम्प वकालतनामा	02–00
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	–	महनताना वकील	
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	05–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	09–00	मिजानः–	02–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।